न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ कैम्प [redacted] देवीपुरा
राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार अभियान 2017
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 170/2013
ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर
—वादी

बनाम

1. बीरबलसिंह पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर
2. उम्मेदसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक खिरोड जरिये शाखा प्रबंधक तहसील नवलगढ
4. एस.बी.बी.जे. शखा चिराना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील नवलगढ
5. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
प्राथमिक—निर्णय

निर्णय दिनांक 11.05.2017

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम देवीपुरा की सरहद में भूमि ख.न. 976/0.01, 977/2.92 है0, 978/3.51 किता 3 कुल रकबा 6.44 है0 स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा शामलाती रूप से पूर्व मे वादी व वादी के भाई हरलाल व वादी के पिता रामेश्वर व प्रतिवादी नं.1 ने पूर्व खातेदार से कय किया था। इसप्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी नं.1 व वादी के भाई हरलाल व पिता रामेश्वर का 1/8—1/8 हिस्सा तथा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 का था। प्रतिवादी नं. 2 ने अपने 1/2 हिस्से का भूमि को अलग से काश्त करता था तथा अलग ही सीमा बना रखी थी। तथा वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का वादी व प्रतिवादी नं.1 व वादी का भाई हरलाल व पिता रामेश्वर शामलाती रूप से काश्त करते थे। वादी के पिता व भाई हरलाल ने अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र प्रतिवादी नं. 1 को देदी इसप्रकार वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्सा वादी का, 3/8 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का, तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 का है। वादी व उसके भाई हरलाल व पिता रामेश्वर व प्रतिवादी नं.1 द्वारा शामलाती रूप से निर्मित चाह मय विद्युत पम्पिंगसेट जिसमें 3/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का है व 1/4 हिस्सा वादी का है। भूमि का रिकार्ड शामलाती होने से वादी को आये दिन प्रतिवादी सीमा से छेडखानी करते हैं व वादी अपने हिस्से की भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहा है अतः वाद विभाजन का करना आवश्यक हुआ। दिनांक 08.08.2013 को प्रतिवादी नं.1 द्वारा वादी के साथ काश्त करने के लिये लडाई झगडा करने पर आमादा होने के रोज वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि ख. न. 976/0.01, 977/2.92, 978/3.51 किता 3 कुल रकबा 6.44 है0 में वादी के 1/8 हिस्सा का अलग से खाता कायम किया जावे । प्रतिवादी नं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं. 3 लगायत 5 बावजूद नाटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत देवीपुरा मे प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी नं. 1 व 2 की और से वकील उपस्थित हुआ तथा वाद डिकी किये जाने मे सहमति जाहिर की गई। अतः वाद विभाजन का होने तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा सहमति जाहिर करने पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम देवीपुरा संवत 2068—71 के अनुसार भूमि ख.न. 976/0.01, 977/2.92, 978/3.51 किता 3 कुल रकबा 6.44 है0 की खातेदारी रामेश्वरलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

लिछमणराम हरलालसिंह ओमप्रकाश बीरबलसिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाट हि0 1/2 नि.गुगारा तहसील व जिला सीकर, उम्मेदसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत सा.दे. हि0 1/2 खातेदार राहिन, बीरबल पुत्र रामेश्वर हि0 1/12 महेन्द्रा कोटक बैंक लि0 राहिन उम्मेदसिंह का हि0 1/2 एसबीबीजे शाखा बेराना दर्ज रिकार्ड है। तथा इसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0स0 1019 नि.दि. 27.06.212 उपहार ख.न. 976, 977, 978 किता 3 कुल रकबा 6.44 है0 में रामेश्वरलाल पु0 लिछमणराम हरलालसिंह ओमप्रकाश बीरबलसिंह पु0 रामेश्वरलाल हि0 1/2 के बजाय बीरबलसिंह पुत्र रामेश्वरलाल हि0 3/8 राहिन हि0 1/2 महेन्द्रा कोटक बैंक लि0 ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल हि0 1/8 जाति जाट सा. गुगारा तहसील व जिला सीकर शेष 1/2 बदस्तूर नामा0 सं0 1048 नि.दि.03.10.2012 रहनमुक्त बीरबलसिंह पुत्र रामेश्वरलाल हि0 3/8 रहनमुक्त स्वीकार नामा0सं0 1062 नि.दि. 07.11.2012 के रहननामा राहिन बीरबलसिंह पुत्र रामेश्वरलाल हि0 3/8 राज.ग्रा.बैं. खिरोड मूर्तहीन स्वीकार दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि में बने विद्युत चाह में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1 का 3/4 हिस्सा होना वाद में वर्णित किया गया है। उक्त रिकार्ड से भूमि शामलाती संयुक्त खातेदारी की होना साबित है। वकील प्रतिवादी नं. 1 व 2 की और से विभाजन में सहमति जाहिर की गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की भूमि ख.न. 976/0.01, 977/2.92, 978/3.51 किता 3 कुल रकबा 6.44 है0 में वादी 1/8 हिस्से का, 3/8 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं. 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा जिसमें बने चाह मय विद्युत पम्पिंग सेट में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1 का 3/4 हिस्सा घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है पक्षकारान की मौजूदगी में मुताबिक रिकार्ड व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत की जावे तथा रहन सुदा भूमि संबंधित खातेदार के रहन दर्ज की जावे। तदनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत देवीपुरा में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.05.2017 को पेश हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत देवीपुरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/5/17

(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नवलगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक (ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम बईजलास [illegible] देवीपुरा
श्री दुर्गा प्रसाद मीना (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़.

<u>दावा बाबत : विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा,</u>

मुकदमा सं० 170/2017 (ओमप्रकाश बनाम बीरबल सिंह आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दुर्गा प्रसाद मीना (आर०ए०एस०), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी...वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 11.05.2017 निर्णय अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की भूमि ख.न. 976/0.01, 977/2.92, 978/3.51 किता 3 कुल रकबा 6.44 है० के वादी 1/8 हिस्से का, 3/8 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं. 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा जिसमें बने चाह मय विद्युत पम्पिंग सेट में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1 का 3/4 हिस्सा घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है पक्षकारान की मौजूदगी में मुताबिक रिकार्ड व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत की जावे तथा रहन सुदा भूमि संबंधित खातेदार के रहन दर्ज की जावे।

जिन..........–.................. मुबलिग..........–..........बाबत.....–..............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....–... ....का अदा करे।

दस्तखत मेरे व मुहर अदालत से आज तारीख.11 माह 05 सन.2017. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
मोहर
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

[illegible]	रूपया पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00
वकालतनामा अर्जी	01.00
स्टाम्प वजह सबूत	–
महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00

मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner